

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

प्रलिस के लयः

पंचायती राज संस्थान, 73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधन

मेन्स के लयः

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुवधाजनक बनाने के लयि [73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधनियमों](#) को पारति कयि हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, लेकनि इस दशिया में वास्तवकि प्रगतियि बहुत कम हुई है ।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरणः

■ वषियः

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राज्य के संसाधनों और कार्यों पर अधिकार को केंद्र से नचिले स्तरों पर नरिवाचति अधिकारियों को **स्थानांतरति करने** की प्रकरयिया है ताकि शासन में अधिकि प्रत्यक्ष नागरकि भागीदारी को प्रोत्साहति कयिया जा सके ।
- भारतीय संवधान द्वारा परकिलपति हस्तांतरण केवल प्रत्योजन नहीं है ।
- इसका तात्पर्य यह है कि **नरिधारति शासनकि कार्यों को कानून द्वारा औपचारकि रूप से स्थानीय सरकारों को सौंपा जाता है**, वतितीय अनुदान और कर संबंधी उचति अंतरण द्वारा उनकी सहायता की जाती है तथा कर्मचारियों की सुवधा प्रदान की जाती है ताकि उनके पास अपनी ज़मिमेदारियों को पूरा करने के लयि आवश्यक साधन हों ।

■ संबंधति संवैधानिक प्रावधानः

- **स्थानीय सरकार, जसिमे पंचायत भी शामिल हैं, संवधान के अनुसार राज्य का वषिय है**, परणामस्वरूप पंचायतों को शक्ति और अधिकार का हस्तांतरण राज्यों के वविक पर छोड़ दयिया गया है ।
- **संवधान कहता है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को हर पाँच साल में चुना जाएगा** तथा राज्यों को कानून के माध्यम से कार्यों एवं ज़मिमेदारियों को हस्तांतरति करने का आदेश दयिया जाएगा ।
- भारत में संवैधानिक रूप से **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)** की स्थापना करके **73 वें और 74वें संशोधनों** ने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को नरिवाचति स्थानीय सरकारों के रूप में स्थापति करना अनवार्य कर दयिया ।
 - इन संशोधनों के द्वारा संवधान में दो नए भाग जोड़े गए, अर्थात् भाग IX शीर्षक "पंचायत" (73 वें संशोधन द्वारा) और भाग IXA शीर्षक "नगर पालिका" (74 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) ।

- 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और ज़मिमेदारियाँ शामिल हैं ।
- 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और ज़मिमेदारियाँ शामिल हैं ।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायत का गठन

स्थानीय नकियाँ की प्रमुख उपलब्धियाँः

■ महिला प्रतनिधित्त्व में बढोतरीः

- 73वें संशोधन अधनियम के लागू होने के बाद से **नरिवाचति महिला प्रतनिधियों का अनुपात लगातार बढ रहा है** ।

- वर्तमान में भारत में 1 मिलियन नरिवाचति प्रतनिधियों के साथ 260,512 पंचायतें हैं, जिनमें 1.3 मिलियन महिलाएँ हैं।
- जबकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतनिधित्व केवल 7-8% है। नरिवाचति स्थानीय प्रतनिधियों में से 49% (ओडिशा जैसे राज्यों में यह 50% को पार कर गया है) महिलाएँ हैं।
- **वभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतसिपर्द्धा का नरिमाण:**
 - 73वें और 74वें संशोधनों के पारति होने से हस्तांतरण (3 एफ: कोष, कार्य और पदाधिकारी) के संबंध में वभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतसिपर्द्धा पैदा हुई है।
 - उदाहरण:
 - केरल ने अपने 29 कार्य पंचायतों को हस्तांतरति कर दिये हैं।
 - केरल से प्रेरति राजस्थान ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और कृषि जैसे कई प्रमुख विभाग पंचायती राज संस्थानों (PRI) को हस्तांतरति किये हैं।
 - इसी तरह बिहार ने "पंचायत सरकार" के विचार को प्रस्तुत किया है और ओडिशा जैसे राज्यों ने महिलाओं के लिये 50% सीटें बढ़ाई हैं।

भारत में स्थानीय निकायों की समस्या:

- **अपर्याप्त नधि:** स्थानीय सरकारों को दिया जाने वाला धन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त होता है।
 - कई प्रकार की शर्तें धन के उपयोग को बाधति करती हैं, जिसमें **आवटति बजट खर्च करने में अनम्यता भी शामिल है।**
 - स्थानीय सरकारों की अपने स्वयं के कर और उपयोगकर्त्ता शुल्कों को बढ़ाने के लिये नविश क्षमता बहुत कम है।
- **अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:**
 - कुछ ग्राम पंचायतों (GPs) के पास अपना भवन नहीं है और वे स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों तथा अन्य स्थानों के साथ जगह साझा करते हैं।
 - कुछ के पास अपना भवन है लेकिन शौचालय, पेयजल और बजिली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
 - ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद कई मामलों में वे काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी डेटा प्रवर्षिति उद्देश्यों के लिये पंचायत अधिकारियों को ब्लॉक विकास कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है जिससे काम में देरी होती है।
- **कर्मचारियों की कमी:**
 - स्थानीय सरकारों के पास बुनियादी कार्य करने के लिये भी कर्मचारी नहीं हैं।
 - इसके अलावा अधिकांश कर्मचारियों को उच्च स्तर के विभागों द्वारा काम पर रखा जाता है, जिनको स्थानीय सरकारों में प्रतनियुक्ता पर रखा जाता है, इसलिये वे ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं और एकीकृत विभागीय प्रणाली के हिससे के रूप में कार्य करते हैं।
- **असामयिक और वलिंबति चुनाव:**
 - राज्य अक्सर चुनावों को स्थगति कर देते हैं और स्थानीय सरकारों के लिये पंचवर्षीय चुनावों के संवैधानिकि जनादेश का उल्लंघन करते हैं।
- **स्थानीय सरकार की नमिन भूमिका:**
 - स्थानीय सरकारें स्थानीय विकास के लिये नीति बनाने वाले निकाय के बजाय केवल कार्यान्वयन मशीनरी के रूप में कार्य कर रही हैं। प्रोद्योगिकि-सक्षम योजनाओं ने उनकी भूमिका को और कम कर दिया है।
- **भ्रष्टाचार:**
 - आपराधिक तत्त्व और ठेकेदार स्थानीय सरकार के चुनावों की ओर आकर्षति होते हैं, जो अपने पास उपलब्ध अत्यधिक धन के कारण जनता को लुभाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार की शृंखला का नरिमाण होता है, जिसमें सभी स्तरों पर नरिवाचति प्रतनिधियों एवं अधिकारियों के बीच भागीदारी शामिल होती है।
 - हालाँकि यह साबति करने के लिये कोई सबूत नहीं है कि विकेंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है।

आगे की राह

- **ग्राम सभाओं का पुनरुद्धार:**
 - शहरी क्षेत्रों में **ग्राम सभाओं** और वार्ड समितियों को वास्तविक रूप में लोगों की भागीदारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पुनर्जीवति करना होगा।
- **संगठनात्मक संरचना को सुदृढ बनाना:**
 - पर्याप्त जनशक्तिके साथ स्थानीय सरकार के संगठनात्मक ढाँचे को मज़बूत करना होगा।
 - पंचायतों के सुचारू संचालन को सुनिश्चति करने के लिये सहायक और तकनीकी कर्मचारियों की भरती तथा नयुक्तिके लिये गंभीर प्रयास किये जाने चाहिये।
- **कराधान हेतु व्यापक तंत्र:**
 - स्थानीय स्तर पर कराधान के लिये एक व्यापक तंत्र तैयार किया जाना चाहिये। स्थानीय कराधान के बिना ग्राम पंचायतों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।
- **वतिपोषण:**
 - पंचायती राज मंत्रालय को यह सुनिश्चति करने के लिये **वति आयोग** के अनुदानों और व्यय की नगिरानी करनी चाहिये ताकि अनुदानों की प्राप्ति में देरी न हो।
 - यह भी सुनिश्चति किया जाना चाहिये कि अनुदानों का उचित और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए।
 - पंचायतों को भी नयिमति रूप से स्थानीय लेखापरीक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि वति आयोग के अनुदान के मामले में देरी न हो।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. संवधान (73वाँ संशोधन) अधनियम, 1992, जसिका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढावा देना है, नमिनलखिति में से कसिका प्रावधान करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समतियों का गठन ।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएंगे ।
3. राज्य वतित आयोगों की स्थापना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- नगरपालिकाओं से संबंधति 74वें संवधान संशोधन अधनियम, 1992 के अनुच्छेद 243ZD में प्रावधान है कप्रत्येक राज्य ज़िला स्तर पर ज़िला योजना समतिका गठन करेगा, जो समग्र रूप से ज़िले के लयि विकास योजना प्रस्तावति करके पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार विकास योजनाओं के समेकन हेतु ज़मिमेदार होगी । अतः कथन 1 सही नहीं है ।
- 73वें संवधान संशोधन अधनियम, 1992 के अनुच्छेद 243K में कहा गया है कपंचायतों के सभी चुनावों के लयि नरिवाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, नरिदेशन एवं नयित्रण राज्य चुनाव आयोग में नहिति होगा । अतः कथन 2 सही है ।
- 73वें संवधान संशोधन अधनियम, 1992 का अनुच्छेद 243I कहता है कप्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्तपर राज्यपाल पंचायतों की वतितयि स्थिति की समीक्षा के लयि एक राज्य वतित आयोग का गठन करेगा । यह राज्य और पंचायतों के मध्य करों, शुल्क, टोल तथा शुल्क की शुद्ध आय के वतितरण एवं संभावति आवंटन/ वनियोग व राज्य की संचति नधिसे पंचायतों को सहायता अनुदान के संबंध में राज्यपाल से सफारशि करेगा । अतः कथन 3 सही है । अतः वकिल्प (c) सही है ।

प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नमिनलखिति में से कसि सुनश्चिति करना है? (2015)

1. विकास में जन भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक वकिंद्रीकरण
4. वतित का संग्रहण

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

व्याख्या:

- पंचायती राज व्यवस्था का मौलिक उद्देश्य विकास और लोकतांत्रिक वकिंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी सुनश्चिति करना है । अतः कथन 1 और 3 सही हैं ।
- पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना स्वतः ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती है । अतः कथन 2 सही नहीं है ।
- वतित का संग्रहण पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है, हालाँकि यह वतित और संसाधनों को ज़मीनी स्तर पर हस्तांतरति करता है । अतः कथन 4 सही नहीं है । अतः वकिल्प (c) सही है ।

प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है । (2017)

- (a) संघवाद
- (b) लोकतांत्रिक वकिंद्रीकरण

- (c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता का वकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना। स्थानीय स्वशासन को वकेंद्रीकरण एवं सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जाता है।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय वस्तु सेवा (1953) के कामकाज की जाँच करने तथा उन्हें बेहतर कामकाज हेतु उपाय सुझाने के लिये भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।
- समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक वकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सफारिश की, जिससे अंततः पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में जाना जाने लगा। **अतः विकल्प (b) सही है।**

??????:

प्रश्न. स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा कनि स्रोतों की तलाश कर सकती हैं? (2018)

स्रोत: द द्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/democratic-decentralisation-in-india>

